तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20.02.24	वकील अपीलाण्ट व कैबियटर अधिवक्ता उपस्थित। रैस्पो0 अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील रैस्पो0 का कथन है कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है जो अग्रिम पेशी दिनांक 29.02.2024 तक ही प्रभावी है। इस प्रकार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः पोषणीय नहीं है। अतः प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी बाबत् पूर्व में दावा चला जो डिक्री हो गया। परन्तु रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्य छुपाते हुये, नया दावा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। अपीलाण्ट के पास दोनों ही विकल्प हैं वह अपील में भी आ सकते हैं। अतः प्राथमिक एतराज प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2024 एक अन्तरिम आदेश है, जो आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.02.2024 तक का जारी हुआ है। जिसकी अपील, अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 08.02.2024 को एक माह पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गयी है। ऐसे अन्तरिम आदेश की अपील या निगरानी मेनटेनेबिल नहीं है। यदि अधीनस्थ न्यायालय आदेश 39 नियम 3 की विधिवत पालना नहीं करता है तो ऐसी सूरत में ही अपील की जा सकती है। हस्तगत अपील में 39 नियम 3 की समयावधि समाप्त होने से पूर्व ही अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। यदि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से उज्र था तो वह अधीनस्थ न्यायालय में ही उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही किया जाना विधिक अपेक्षा है। इसलिये अपील संधारणीय नहीं होने के कारण हम रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज स्वीकार करते हुये, इसी स्तर पर अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित समझते हैं कि वह धारा 212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र को आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में 30 दिवस के अंदर निस्तारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय के निर्णय के साथ वापिस भेजी जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	